



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19012022-232742
CG-RJ-E-19012022-232742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

रेल मंत्रालय

उत्तर पश्चिम रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 257(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में विशेष रेल परियोजना, “बनवाली — श्रीगंगानगर के गुड्स शेड की शिफ्टिंग” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी, सादुलशहर, जिला — श्रीगंगानगर, राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी इस आक्षेपों की सुनवाई करने और ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जिला श्रीगंगानगर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "बनवाली – श्रीगंगानगर के गुड्स शेड की शिफ्टिंग" के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण :

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पत्थर संख्या	मुरबा संख्या	किला संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	सादुलशहर	6 बी.एन.डब्ल्यू	22 / 122	6	16/1	0.025
					17/1	0.051
					18/1	0.089
					19/1	0.127
					22	0.140
					23	0.148
					24	0.157
					25	0.165
					20	0.152
					21	0.132
2	सादुलशहर	6 बी.एन.डब्ल्यू	21 / 122	7	16/1	0.038
					17	0.190
					18/2	0.051
					24	0.187
					25/2	0.055
					25/4	0.006
					16/3	0.013
					16/4	0.114
					18/3	0.126
					19/2	0.129
					22/2	0.110
					23	0.185
					19/1	0.073
					20	0.228
					21	0.210
3	सादुलशहर	6 बी.एन.डब्ल्यू	20 / 122	8	22/1	0.074
					25/1	0.115
					25/3	0.012
					13/1	0.051
					14/1	0.025
					16/1	0.127
					16/2	0.126
					17/1	0.126
					17/2	0.127
					18/1	0.054
					18/2	0.184
					22	0.007
					23	0.253
					24	0.253
					25	0.253
					कुल	4.688

[फा. सं. उ.प.रे.-एचक्यू0इंजी(एलएम)/ 30 / 2021]

सुरेन्द्र कुमार बंसल, मुख्य परियोजना निदेशक/स्टेशन विकास उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

MINISTRY OF RAILWAYS**NORTH WESTERN RAILWAY (ENGINEERING DEPARTMENT)****NOTIFICATION**

Jaipur, the 18th January, 2022

S.O. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **“Banwali - Shifting of Goods shed of Sri Ganganagar”** in the district of Sri Ganganagar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer, Sadulsahar, District Sri Ganganagar, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely **“Banwali - Shifting of Goods shed of Sri Ganganagar”** in the District Sri Ganganagar, in the State of Rajasthan.

SN	Name of Tehsil	Name of village	Patthar no	Murba No.	Kila No.	Area (in hectare)
1	Sadulsahar	6 BNW	22/122	6	16/1	0.025
					17/1	0.051
					18/1	0.089
					19/1	0.127
					22	0.140
					23	0.148
					24	0.157
					25	0.165
					20	0.152
					21	0.132
2	Sadulsahar	6 BNW	21/122	7	16/1	0.038
					17	0.190
					18/2	0.051
					24	0.187
					25/2	0.055
					25/4	0.006
					16/3	0.013
					16/4	0.114

	Sadulsahar	6 BNW	21/122	7	18/3	0.126
					19/2	0.129
					22/2	0.110
					23	0.185
					19/1	0.073
					20	0.228
					21	0.210
					22/1	0.074
					25/1	0.115
					25/3	0.012
					13/1	0.051
					14/1	0.025
3	Sadulsahar	6 BNW	20/122	8	16/1	0.127
					16/2	0.126
					17/1	0.126
					17/2	0.127
					18/1	0.054
					18/2	0.184
					22	0.007
					23	0.253
					24	0.253
					25	0.253
					Total	4.688

[F. No. NWR-HQ0ENGG(LM)/30/2021]

SURENDRA KUMAR BANSAL, Chief Project Director/Station Development North Western Railway, Jaipur